न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बेगूँ जिला चितौडगढ़ (राज0)

प्रार्थना पत्र संख्या ::-55/2025 दिनांक....2/5/25

अनवान

ओमप्रकाश पिता पृथ्वीराज जाति ब्राह्मण वगैरे
निवासी गुलाना त0 बेगूँ ..... प्रार्थी / प्रार्थीगण

बनाम

किशनलाल पिता मांगीलाल जाट वगैरे
निवासी आरी त0 बेगूँ ..... विपक्षी / विपक्षीगण

:: आदेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट के तहत बाबत पत्थरगढी करने::

न्यायालय में अधिवक्ता श्री .....A.K. शर्मा.....के द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट के तहत हमारे समक्ष प्रस्तुत किया गया है। जिसके बाद जॉच दर्ज किया जाकर प्रकरण में जॉच किये जाने पर पाया कि प्रार्थी / प्रार्थीगण वर्णित आराजीयात का खातेदार है तथा प्रार्थी द्वारा उनके खातेदारी की कृषि आराजी मौजा गुलाना.....पटवार हल्का गोविन्दपुरा की आराजी संख्या 151,222,270,430,561,622 668,673,677,882,883,884,885,924,944,979,734.....कुल कीता–13.....कुल रकबा 4.1400 है. कृषि भूमि की पत्थरगढी किये जाने का निवेदन किया गया है।

पत्रावली मे प्रस्तुत दस्तावेज का अवलोकन हमारे द्वारा किये जाने पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाने योग्य पाया गया है। अतः प्रार्थी / प्रार्थीगण के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र की छायाप्रति इस आदेश के साथ संलग्न की जाकर आपको आदेश दिया जाता है कि प्रार्थी / प्रार्थीगण के खातेदारी की कृषि आराजी मौजा .....गुलाना..... पटवार हल्का गोविन्दपुरा की आराजी संख्या .....प्रार्थना पत्रानुसार..... .....कुल कीता–13..... कुल रकबा 4.1400 है. .....भूमि की पत्थरगढी हेतू सूचना पत्र जारी कर प्रार्थी / प्रार्थीगण एवं विपक्षी / विपक्षीगण की उपस्थिती में प्रार्थीगण से पत्थरगढी शुल्क की राशि 3000/- .....प्राप्त करते हुए मौके की पत्थरगढी की जावें।

संलग्न ::– प्रार्थना पत्र
कीता–(4)

उपखण्ड अधिकारी, बेगूँ
जिला चितौडगढ़(राज.)

क्रमांक / सरिश्ता / 2025/ 255 दिनांक ::–5/5/25

प्रार्थना पत्र संख्या 55/25 व अनवान ओमप्रकाश V/S किशनलाल .....प्रार्थना पत्र अ0धा0 128 एल.आर.एक्ट में न्यायालय द्वारा दिये गये आदेश की प्रति आपको वास्ते पालनार्थ दी जाती है।

उपखण्ड अधिकारी,बेगूँ
जिला चितौडगढ़(राज.)